01/8/23

आज यह पत्रावली प्रार्थिनी स्वयं तथा अधिवक्ता श्री जतपाल Advocate के अनुपस्थित होकर मूल वाद में वकालतनामा एवं एक प्रकरण ने पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण प्रार्थिनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए शेष करने हेतु निवेदन करने के आधार पर पेशी में ली गयी

प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी के आधार पर प्रार्थिनी को पत्रावली withdraw करने की अनुमति दी जाती है प्रार्थना पत्र 21 RTA प्रार्थिनी द्वारा withdraw आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07/07/2023 को निरस्त किया जाता है पत्रावली फैसले में शुमार होकर मूल वाद संलग्न रखें।

पुलाए को आगे कहे वालाना चास्ती रमनदीप प्रार्थिनी (रमनदीप कौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2023.08.04 15:47:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर